

File No. 12/01/2019-Proj

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 04/05/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा एसईजेड की अध्यक्षता में 04/05/2022 पूर्वाह्न 11:30 बजे को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा एसईजेड अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

A. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1. श्री नितिन गुप्ता, उप. विकास आयुक्त, एनएसईजेड (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग द्वारा नामित)।
2. श्री सुनील कुमार अधीक्षक, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय।
3. श्रीमती पोम्पी दास सहायक आयुक्त, डीआईसी, नोएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)।
4. श्री चमन लाल, एफटीडीओ, अतिरिक्त कार्यालय डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली
5. श्री अमित कुमार वर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।
6. श्रीमती मीनाक्षी नारंग, प्रबंधक, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान श्री (i) अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (ii) प्रमोद कुमार, सहायक, विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (iii) अरुण सिंह परिहार, आशुलिपिक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड, (iv) सत्य विजय वर्मा, आईई, यूपीपीसीबी, नोएडा और (v) एस के भारती, जेई, यूपीपीसीएल, नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। । यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित कोरम उपलब्ध है और बैठक का कार्य शुरू किया जा सकता है।

C. प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल मदों को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श और आवेदकों / इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन 05/04/2022।

File No. 12/01/2019-Proj

यह सूचित किया गया कि दिनांक 05/04/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है। अनुमोदन समिति ने इसे नोट किया और तदनुसार, 05/04/2022 को हुई अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) ज़ोरब इंडस्ट्रीज - एनएसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना।

2.1 फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रितेश कपूर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री कपूर ने बताया कि वे वास्तव में प्रस्तावित ट्रेडिंग यूनिट की स्थापना के लिए, M/s गोज़ इंजीनियरिंग टूल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्लॉट नंबर 128, एनएसईजेड में क्षेत्र साझा की तलाश कर रहे हैं।

2.2 यह सूचित किया गया कि वाणिज्य विभाग के स्पष्टीकरण के अनुसार नए साझाकरण अनुमति के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक ने उल्लेख किया है कि वे नई परियोजना के लिए अलग एसडीएफ के लिए आवेदन करेंगे जबकि बैठक के दौरान उनके प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से क्षेत्र साझा की अनुमति का संकेत दिया था जिसे प्रदान नहीं किया जा सकता है। श्री कपूर ने संकेत दिया कि यदि क्षेत्र साझा करने की अनुमति नहीं है, तो वे एलओए को लागू नहीं कर पाएंगे।

2.3 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और वाणिज्य विभाग के निर्देशों के आलोक में उचित विचार-विमर्श के बाद, धारा 15 एसईजेड अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार एनएसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के लिए M/s ज़ोरब इंडस्ट्रीज के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

(3) आर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना।

3.1 श्री राघव झुनझुनवाला, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और उनके प्रस्ताव के बारे में बताया। उन्होंने समिति को सूचित किया कि उनका फाल्टा एसईजेड में एक वेयरहाउसिंग इकाई M/s अरिहंत वर्ल्डवाइड लिमिटेड के साथ एक समझौता है और वह इसके साथ काम कर रहे हैं।

3.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित मर्दों के ITC HS 2022 (8 अंकों) कोड प्रस्तुत करने के और डीसी, फाल्टा एसईजेड से रिपोर्ट की प्राप्ति के अधीन, एक नई इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स आर्शी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा, डीटीए में वेयरहाउसिंग सामान की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) स्टर्लिंग फ्रेयन्स एलएलपी - एनएसईजेड में एक नई इकाई की स्थापना।

File No. 12/01/2019-Proj

4.1 श्री हिमांशु गर्ग, पार्टनर, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव को समझाया। उन्होंने समिति को सूचित किया कि उन्हें इस लाइन में कोई अनुभव नहीं है और वे वास्तव में हरियाणा में डीटीए में एक ब्लेड निर्माण इकाई चलाते हैं और दूसरे पार्टनर श्री पवन गर्ग सही व्यक्ति हैं जो प्रस्ताव को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं और प्रस्तावित गतिविधियों की व्याख्या कर सकते हैं। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि श्री पवन पहले से ही इसी तरह के उत्पादों में, नेपाल में शिवशक्ति पोर्टफोलियो नामक एक कंपनी को संभाल रहे हैं। अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित अधिकृत संचालन का ITC (HS) कोड गलत है। इसके अलावा, आवेदन में कई कमियां देखी गई हैं जिन्हें सुधार के लिए आवेदक को अवगत करा दिया गया है और उत्तर की प्रतीक्षा है।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को आवेदक से उत्तर प्राप्त होने और उसकी जांच पर प्रस्ताव रखने के निर्देश के साथ स्थगित कर दिया। समिति ने श्री पवन गर्ग द्वारा संभाले जा रहे मौजूदा व्यवसाय के संबंध में विवरण और मामले को फिर से सामने रखने से पहले संबंधित अधिकारियों से एक रिपोर्ट प्राप्त करने का भी निर्देश दिया। समिति ने दोनों पार्टनरों को बैठक में आमंत्रित करने का भी निर्देश दिया जब प्रस्ताव फिर से उसके सामने रखा जायेगा।

(5) एसी इंपेक्स - एलओए का नवीनीकरण।

5.1 श्री अमित गर्ग, पार्टनर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री गर्ग ने बताया कि उन्होंने शुरू में सादे सोने के आभूषणों के लिए कुछ निर्यात ऑर्डर प्राप्त किए हैं और जल्द ही निर्यात उत्पादन शुरू करेंगे।

5.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, M/s एसी इंपेक्स के एलओए को 31/10/2022 तक की अवधि के लिए नवीनीकृत करने और प्लेन गोल्ड ज्वैलरी (71131910) (1810 किग्रा / वर्ष) का निर्माण और निर्यात को अनुमोदित किया। यह अनुमोदन निर्यात आदेश के आदेशों की प्रस्तुति के अधीन है।

(6) अत्तर मो. सईद दाऊद एंड ब्रदर्स - यूनिट द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवाओं के संबंध में अधिकृत संचालन का हिस्सा है या नहीं -27(2) SEZ नियम 2006 के तहत मार्गदर्शन की आवश्यकता।

6.1 फर्म के प्रतिनिधि श्री अक्षय माथुर अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने समिति को सूचित किया कि विदेशों में सेवाओं के प्रावधान के संबंध में कोई लिखित/औपचारिक संचार नहीं है और यह सब मौखिक प्रतिबद्धताओं पर हुआ है। इस विषय पर विदेश में उक्त सेवाओं के प्रावधान में शामिल पक्षों के साथ लिखित संचार के अभाव में समिति ने उनके उत्तरों को इकाई के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पर्याप्त रूप से आश्वस्त नहीं पाया।

File No. 12/01/2019-Proj

6.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडा पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को इकाई को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ स्थगित कर दिया:

(i) कुल प्रचार गतिविधियों का विवरण अर्थात आयोजित संगोष्ठियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों/सम्मेलनों/आउटरीच गतिविधि, आयोजित प्रत्येक प्रचार गतिविधि की तिथि, स्थान और विषय की कुल संख्या।

(ii) इन प्रचार गतिविधियों में शामिल लोगों की संख्या

(iii) एनएसईजेड इकाई या किसी अन्य कानूनी इकाई के कर्मचारियों/प्रतिनिधियों के नाम/संख्या, जिन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के साथ इन प्रचार गतिविधियों में भाग लिया था। साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य जैसे टिकट, पासपोर्ट/वीजा और विदेशी स्थल के बिल जहां इन सेवाओं का लाभ उठाया गया था, आदि।

(7) इंडेमिया सिस्कोम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. - सिम कार्ड और स्मार्ट कार्ड के लिए एकीकृत सर्किट के निर्माण के लिए अधिकृत संचालन के लिए सोने और चांदी के तार के आयात की अनुमति।

7.1 कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री एन के प्रुस्टी बैठक में उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। श्री प्रुस्टी ने बताया कि वे इन सामग्रियों को सीधे सीधे खरीद के रूप में आयात करेंगे।

7.2 समिति ने नोट किया कि डीओसी का दिनांक 28/08/2017 और 19/09/2017 का परिपत्र लागू नहीं हुआ है क्योंकि यह एसईजेड में रत्न और आभूषण इकाइयों से संबंधित है। अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्यात के साथ आयातित इनपुट के सहसंबंध के आलोक में यूनिट द्वारा प्रस्तावित कच्चे माल के रूप में सोने और चांदी के तार के आयात की अनुमति दी। यह अनुमति विदेश व्यापार नीति (FTP) के लागू प्रावधानों/शर्तों और वाणिज्य विभाग के किसी स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के अधीन है। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इस निर्णय को वाणिज्य विभाग को उनकी जानकारी और किसी भी अवलोकन के लिए सूचित किया जायेगा।

(8) मैग्नम एविएशन प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

8.1 अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई के प्राधिकृत प्रतिनिधि श्री डी वी खेड़ा एवं श्री मनीष कुमार उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव स्पष्ट किया। श्री खेरा ने कहा कि उन्होंने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 53 (ए) (ई), (एम) और (एन) के तहत डीम्ड निर्यात के साथ-साथ वास्तविक निर्यात भी किया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी गतिविधियां निर्माण के अंतर्गत आती हैं और वे एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 2(आर) में दी गई निर्माण की परिभाषा को पूरा करते हैं। अनुमोदन समिति का विचार था कि इकाई द्वारा की गई आपूर्ति एसईजेड नियम, 2006 के नियम 53 (ए) (डी) के तहत आनी चाहिए जो

File No. 12/01/2019-Proj

सीमा शुल्क अधिसूचना 50/2017 के तहत है जिसमें विमान की मरम्मत और रखरखाव के लिए आयात शामिल हैं। समिति ने नियम 53 में एसईजेड संशोधनों पर भी ध्यान दिया।

8.2 श्री खेरा ने उनके निर्यात प्रदर्शन, लंबित आदेशों और कार्यालय के साथ उनके एक दशक लंबे जुड़ाव को ध्यान में रखते हुए पूर्ण ब्लॉक के नवीनीकरण के उनके अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध किया।

8.3 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और यूनिट की प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, नियम 53 ए (डी) और सीमा शुल्क अधिसूचना 50/2017, NFE के प्रदर्शन और लंबित आदेशों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एलओए की वैधता को नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। वर्तमान ब्लॉक की पांच वर्ष की शेष अवधि है अर्थात् 31/01/2025 तक। अनुमोदन समिति ने अन्य एसईजेड में अपनाई गई प्रथा के अनुसार प्रदर्शन/NFE की निगरानी से संबंधित अन्य मुद्दों की जांच करने और विस्तृत जांच के बाद इसे अपने सामने रखने का निर्देश दिया।

(9) ऑन-ग्राफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड - के अनुमानों और निगरानी में संशोधन

9.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दी और M/s ऑन-ग्राफ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमानों को नोट किया।

(10) आदित्य एंटरप्राइजेज - उत्पादन शुरू होने की तारीख।

10.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उत्पादन शुरू करने की तारीख (DCP) को 05/10/2021 (विदेशी मुद्रा में पहले जॉब-वर्क चालान की तारीख) के रूप में नोट करने का निर्णय लिया, जो वास्तव में आपूर्ति की जांच के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि भविष्य के सभी चालान **SEZonline** प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए जाने चाहिए।

(11) केजीएन एम्ब्रॉइडरी - उत्पादन शुरू होने की तिथि

11.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, उत्पादन शुरू करने की तारीख 06/11/2021 (DCP) को (विदेशी मुद्रा में पहले जॉब-वर्क चालान की तारीख) के रूप में नोट करने का निर्णय लिया, जो कि वास्तव में आपूर्ति की जांच के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि भविष्य के सभी चालान SEZonline प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज किए जाने चाहिए।

(12) जे एंड एस एक्सपोर्ट्स - एलओए की समीक्षा।

File No. 12/01/2019-Proj

12.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने अनुमोदन समिति के निर्णय का अनुपालन नहीं किया है।

12.2 अनुमोदन समिति ने इकाई को गैर-अनुपालन को गंभीरता से लिया और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई को एक अंतिम अवसर देने का निर्णय देने के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और फर्म के प्रमोटर्स को अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया। जिसके उल्लंघन पर समिति उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निर्णय लेगी। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इस बीच एस्टेट डिवीजन, एन एस ई जेड पी.पी. अधिनियम के अनुसार इकाई के खिलाफ कार्रवाई करेगा।

(13) रॉयलक्स एक्सपोर्टर्स - संविधान में बदलाव, अतिरिक्त वस्तुओं का समावेश/आईटीसी (एचएस) कोड का अपडेशन।

13.1 फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रजत बहल और श्री अमित गुसा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना प्रस्ताव समझाया। श्री बहल ने बताया कि प्रस्तावित अतिरिक्त मदों के संबंध में वे सोलर पैनल के केवल उन पुर्जों का व्यापार करेंगे जिनका निर्माण उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है।

13.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के प्रस्ताव यानि संगठन में बदलाव, सौर पैनल और उसके पुर्जों (कार्यसूची में सूची के अनुसार) के निर्माण के लिए अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना, भागों का व्यापार (85419000) और ITC HS कोड (HS 2022) का अपडेशन को मंजूरी दी। यह अनुमोदन सभी आवश्यक दस्तावेजों/सूचनाओं को जमा करने और फाइल पर जांच के अधीन है।

(14) अमिगा इन्फोर्मेटिक्स - अधिकृत संचालन में संशोधन और व्यापार के क्षेत्र में परिवर्तन और एलओए की वैधता में विस्तार।

14.1 इकाई से कोई भी बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

(15) आप की पसंद - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करना।

15.1 श्री संजय कपूर, इकाई के मालिक, अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपने प्रस्ताव के बारे में बताया।

File No. 12/01/2019-Proj

15.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित संशोधन के साथ इकाई द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करने के लिए मैसर्स आप की पसंद के प्रस्ताव को मंजूरी देने का निर्णय लिया:-

(i) चमकदार दर्पण पेन और हस्तनिर्मित पेंसिल (96081019)' और 'पैकेज्ड कृत्रिम आभूषण (71171990)', दोनों बिना किसी कीमती धातु के।

(ii) ITC (HS) कोड 44209090 यानी "जड़ी हुई लकड़ी: ताबूत, केस और मूर्तियाँ और विविध हस्तशिल्प उत्पादों" की अनुमति नहीं है।

15.3 अनुमोदन समिति ने आगे निर्देश दिया कि उपरोक्त अनुमोदन, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने/फाइल/एजेंडा में देखी गई कमियों के सुधार के अधीन है।

(16) eShakti.com प्राइवेट लिमिटेड -एसईजेड, नोएडा से मूल रूप से निर्यात किए गए ग्राहकों की बिक्री-रिटर्न के पुनः आयात के लिए एक बार अनुमोदन की अनुमति।

16.1 यह सूचित किया गया था कि वाणिज्य विभाग ने अपने पत्र दिनांक 29/04/2022 में कहा है कि एसईजेड नियम, 2006 का नियम 29(7) वारंटी अवधि के भीतर माल के पुनः आयात की अनुमति देता है। तत्काल मामले में, M/s eShakti.com प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी रिटर्न विंडो बढ़ा दी थी जो वारंटी अवधि की तरह है, जिसका अर्थ है कि यूनिट वारंटी अवधि के भीतर माल का पुनः आयात कर रही है। तदनुसार, प्रस्ताव पुनः विचार के लिए यूएसी को लौटा दिया जाता है।

16.2 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, विकास आयुक्त, एनएसईजेड को डीओसी से प्राप्त टिप्पणियों के संदर्भ में फाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया। मामले की कार्योत्तर मंजूरी के लिए यूएसी में सूचना के लिए रखा जाएगा।

(17) इंडो एयरोस्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यों को शामिल करने के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

17.1 अनुमोदन समिति ने एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मैसर्स इंडो एयरोस्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 'निकेल अलॉय प्लेट्स, शीट्स (75062000) के निर्माण और व्यापार' को अधिकृत संचालन में शामिल करने की अनुमति की पुष्टि की।

(18) कूपर फार्मा लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

File No. 12/01/2019-Proj


18.1 समय की कमी के कारण, अनुमोदन समिति एजेंडे पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकी और प्रस्ताव को अपनी अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।



(नितिन गुसा)

उप. विकास आयुक्त



(ए बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त